न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–89 / 2026

(झाझा थाना कांड संख्या 111 / 2021 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

डेगन राय बनाम राज्य सरकार

आदेश

16.04.2026 1– प्रस्तुत जमानत आवेदन **डेगन राय** उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता स्व0 प्रमेश्वर राय, ग्राम बखौरी बथान, थाना झाझा, जिला जमुई द्वारा झाझा थाना कांड संख्या 111 / 2021 में धारा–341, 323, 308, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत दाखिल किया गया है। उक्त जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार यादव तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया। आवेदक दिनांक 03.02.2026 से कारा में संसीमित है।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि डेगन राय पे0 स्व0 प्रमेश्वर राय, नेपाली राय पे0 स्व0 ठकुरी राय, सातो राय पे0 सरयु राय, देवकी देवी पति जानकी राय, जोधनी देवी पति प्रमेश्वर राय सभी साकिनान बखौरी बथान थाना झाझा जिला जमुई ने हरवे हथियार से लैश होकर सूचक के खेत में लगे प्याज को चरा रहा था तो सूचक ने विरोध किया कि तुमलोग मेरे खेत में लगा प्याज को क्यों चरा रहे हो। इसी बात पर सभी गाली गलौज देने लगा और डेगन राय के हाथ में रॉड था। सूचक के माथा पर मारा जिससे सूचक का माथा फट गया और नेपाली राय सूचक के पिता जी को लाठी से मारा। सातो राय सूचक की पत्नी को लाठी से मारा और सभी मुदालह धमकी दिया कि तुम हमलोग के बीच इन्दिरा आवास कैसे बना रहे हो यहां से भाग जाओ। जोधनी देवी और देवकी देवी सूचक की पत्नी का कान का बाली और पायल ले लिया और पत्थर से मारा। जब हल्ला हुआ तो गांव वाले दौड़कर आए तो सभी व्यक्ति धमकी देते हुये भाग गए कि तुम केस किया तो जान से मारकर फेंक देंगे। सूचक किसी तरह छिपकर जमुई अस्पताल में ईलाज करा रहा है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदक दिनांक 03.02.2026 से कारा में संसीमित है। आवेदक की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2252 / 23 इस माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 13.02.2020 को जिला एवं अपर सत्र –न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद अग्रिम जमानत आवेदन क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 28853 / 24 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया था जो दिनांक 10.07.2024 के आदेश से खारिज किया गया। इसके अलावे तथा वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर अन्य कोई जमानत आवेदन सत्र न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय पटना में न तो दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को 41ए द0प्र0स0 का लाभ नहीं दिया गया है। यह कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया हैं ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमे में आवेदक को फंसाया गया है। यह कि प्राथमिकी में दर्ज घटना की तिथि 27.03.21 समय 12 बजे दिन के होने की बात कही गई है परन्तु लिखित आवेदन दिनांक 15.02.21 को थाने में दिया गया है जो 19–19 दिनों का विलम्ब है जिसका कोई भी कारण प्राथमिकी में नहीं दिखाया गया है जो इस बात को दर्शाता है कि घटना की तिथि को ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। यह कि आवेदक एक गरीब मजदूर है और मजदूरी करने के लिए बाहर था। इसलिए दिनांक 03.02.26 को निम्न न्यायालय में

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–89 / 2026

(झाझा थाना कांड संख्या 111 / 2021 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

डेगन राय बनाम राज्य सरकार

16.04.2026
लगातार

आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया जिसे निम्न न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त हैं तथा प्राथमिकी धारा 341, 323, 308, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0 के अर्न्तगत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक पर आरोप है कि घटना की तिथि एवं समय पर आवेदक डेगन राय अपने हाथ में लिये रॉड से सूचक के माथा पर मारा जिससे सूचक का सिर फट गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2252 / 2023 दिनांक 13.02.2024 के आदेश से इस न्यायालय के आदेश द्वारा खारिज किया गया है तथा इसी आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 28553 / 2024 में दिनांक 10.07.2024 के आदेश से खारिज किया गया है उसके पश्चात् अभिलेख इस आवेदक की उपस्थिति हेतु लंबित रहा परन्तु यह आवेदक पुलिस एवं न्यायालय को चकमा देता रहा अंततः दिनांक 03.02.2026 को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है तब से कारा में संसीमित है। इस प्रकार इस आवेदक के उपस्थित न होने के कारण यह वाद आवेदक की उपस्थिति के लिए लगभग एक वर्ष नौ महीने से लंबित रहा है। यह आवेदक स्वच्छ हाथों से न्यायालय में जमानत के लिए नहीं आया है और वाद के इस प्रक्रम पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने पर वाद के विचारण में विलंब होने की संभावना है। अतः इस निर्देश के साथ आवेदक का जमानत आवेदन निष्पादित किया जाता है कि वाद कमिटमेन्ट के पश्चात् आवेदक जमानत हेतु पुनः जमानत आवेदन विचारण न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं जिस पर विधि के अनुसार विचार किया जायेगा।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई